साहित्य के क्षेत्र में स्थायी रूप से काम करना है तो मौलिक विचारों को हाथों से लिखिए

वरुण कुमार चौहान ● रायपुर
मो.नं. 9111243591

नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव में देशभर से सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखक, कवि व विभिन्न शैलियों में लिखने वाले साहित्यकार यहां जुटे। इन्हीं गणमान्य हस्तियों के बीच समाज के विभिन्न रूपों को अपनी कहानियों, उपन्यास और अन्य साहित्यिक रचनाओं में पिरोने वाली सुप्रसिद्ध लेखिका डॉ. स्वाति तिवारी भी उपस्थित रहीं। डॉ. तिवारी ने अपने लेखन से जुड़े अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश : –

पीपुल्स समाचार साक्षात्कार

प्रश्न आपकी कृतियों में समाज को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, इसका क्या कारण है, अपनी रचनाओं के बारे में भी बताएं?

उत्तर एक व्यक्ति जब जन्म लेता तो समाज उसको स्थान देता है। समाज ही उसको पहचान देता है। समाज से ही हम बहुत कुछ पाते हैं इसलिए मेरी रचनाओं में समाज ही मुख्य रूप से दिखाई देता है। मुझे रचनाओं में मध्यप्रदेश शासन के लिए जनजातियों पर केंद्रित पुस्तिका 'बानगी' है, जिसकी संकल्पना और सम्पादन किया। वहीं बुढ़ापे पर केंद्रित मेरी लोकप्रिय कृति 'अकेले होते लोग' बहुत प्रसिद्ध रही जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पुरस्कार भी मिला।

प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी को लेकर आपने एक किताब लिखी है। उसके बारे में कुछ बताइये ?

उत्तर जब हम भोपाल आए तो उस समय में एक निर्णय आया था। और पूरा फैसला पीड़ितों के पक्ष में नहीं था। मैंने सोचा कि भोपाल आकर भी मैंने भोपाल गैस त्रासदी का कारखाना नहीं देखा तो मुझे इसको देखना चाहिए। उस दिन एक विशेष तारीख थी। 11-01-11 इस दिन मैंने गैस त्रासदी फैक्ट्री देखी। यहां मैंने एक मूर्ति भी देखी जिसमें मां की गोद में एक बच्चा है जो मर चुका है और दूसरा बच्चा उसका पल्लू पकड़कर चल रहा है। इसके बाद मैंने इस पर लिखना तय किया। इसके बाद विधवा कॉलोनी में जाकर महिलाओं से चर्चा की। पहले विधवा कॉलोनी पर ही लिखा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी बसाहट नहीं है जिसका नाम विधवा कॉलोनी हो। जब यह आर्टिकल छपा उसके बाद इस कॉलोनी का नाम जीवन ज्योति कॉलोनी कर दिया गया। इससे मुझे लगा किमेरा लिखना सार्थक रहा। इसके बाद मेरी किताब आई 'सवाल अब भी जिंदा है'।

प्रश्न क्या आपने साहित्यिक कार्य के इतर भी अन्य विषयों काम किया है ?

उत्तर मैंने पक्षियों पर काम किया है। बर्ड फोटोग्राफी करते हुए 'भोपाल के पक्षी' किताब तैयार की, जिसे भोपाल की रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। एक और सीरीज आ रही है, 'घोंसलों का विज्ञान' जिसमें पक्षियों के घोंसलों पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। इस पर भी एक किताब आएगी।

प्रश्न आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा?

उत्तर मेरा परिवार साहित्यिक माहौल वाला रहा है। मेरे पिता हिंदी के बहुत अच्छे व्याख्याता रहे हैं। कथा कथन एक विधा है जिसमें बिना कागज के एक कहानी को सुनाया जाता है। तो हमने बचपन में टॉलस्टाय से लेकर महादेवी वर्मा, प्रेमचंद को कहानी के रूप में सुना। गीली मिट्टी कहानी और साहित्य के प्रति बचपन से बन गई थी।

प्रश्न नई पीढ़ी के लेखकों, साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर देखिए साहित्य एक लंबा रास्ता है। यह शार्टकट से नहीं लिखा जा सकता। एआई पर विषय डाल दिया और जो कहानी आ गई उसको हमने अपनी कहानी बताकर प्रस्तुत कर दी। आप आज छप जाओगे। लेकिन अगर आपको साहित्य में स्थायी रूप से अपना काम करना है तो अपनी मौलिक विचारधारा को अपने हाथों से लिखिए। क्योंकि जो हम लिखते हैं वह दूर दूर तक जाता है। उसमें एक भाव निकल कर आता है। मैं तो अब भी कागज पर हाथ से लिखती हूं। दूसरा लेखन से पहले पाठक होना जरूरी है। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है।

प्रश्न आपकी आने वाली कृतियां कौन सी है?

उत्तर मेरी खुद की लिखी और संपादित की हुई 18-19 किताबें हैं। आने वाले समय में मेरा एक उपन्यास आएगा। इसकी थीम राजस्थान के शेखावटी की हवेलियों की बहुत खूबसूरत चित्रकारी से जुड़ी है। मैंने एक अज्ञात हवेली को अपने उपन्यास के केंद्र में रखा है। इसके अलावा एक किताब पिता पर आधारित है। माताओं को लेकर तो काफी लिखा जाता है लेकिन पिता पर कम लिखा जाता है। इस किताब में 70 पिताओं पर केंद्रित आलेख हैं, जिन्हें संपादित किया है। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी का भाग-2 तैयार किया है। इसमें पूरी पीढ़ी जो विकलांग पैदा हुई है, हर बच्चे की अलग समस्या है। तो इन बच्चों पर केंद्रित यह किताब भी आने वाले समय में आएगी।

बस्तर संभाग के 41 गांवों में गणतंत्र दिवस पर पहली बार लहराएगा तिरंगा

पीपुल्स संवाददाता ● जगदलपुर
editor@peoplessamachar.co.in

40 साल बाद जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सहित बस्तर संभाग के 41 गांवों में गणतंत्र दिवस पर सोमवार को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। किसी समय यहां के गांवों में 26 जनवरी को घरों के दरवाजे बंद रहते थे, लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद अब यहां खुलकर गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही है।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि बस्तर का करीब 95 प्रतिशत इलाका अब नक्सल हिंसा से मुक्त हो गया है। इस गणतंत्र दिवस पर बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित 41 गांवों में लहराता तिरंगा संदेश देगा कि बंदूक की सत्ता क्षणिक होती है, लेकिन संविधान की सत्ता ही स्थायी होती है।

25 साल में 1573 नक्सली मारे गए

बस्तर संभाग में नक्सलवाद के विरुद्ध चार दशक से अधिक समय से चली आ रही लोकतांत्रिक लड़ाई में 2001 से 21 दिसंबर 2025 तक 3414 मुठभेड़ों में 1573 नक्सली मारे गए, 1318 जवानों ने बलिदान दिया और 1821 निर्दोष नागरिक हिंसा के शिकार बने। एक ही वर्ष 2025 में 256 नक्सली मारे गये, 884 गिरफ्तार और 1562 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही बस्तर का लगभग 95 प्रतिशत इलाका अब नक्सल हिंसा से मुक्त हो गया।

4 साल में 135 सुरक्षा कैंप बने

बीते 4 वर्षों में बस्तर संभाग में करीब 135 नए सुरक्षा एवं सुविधा कैंप स्थापित किए गए। नक्सलियों के कॉरिडोर इससे ध्वस्त हुए। नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व या तो मारे गए या मुख्यधारा में लौट आए। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर रेंज के 41 गांवों में पहली बार पूरे उत्साह व उमंग के साथ इस राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जा रहा है।

– सुंदरराज पी., आईजी, बस्तर

ग्रामीणों ने साझा किया अपना अनुभव

पहले 26 जनवरी के दिन गांव में सन्नाटा छाया रहता था। लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सुरक्षाबलों के जवान हमारे साथ रहते हैं, इसलिए डर नहीं है। पहली बार तिरंगा हमारे गांव में खुलेआम लहराएगा।

– सुखमन, ग्रामीण, उल्लूर गांव, बीजापुर

इस बार हम खुद तिरंगा झंडा घरों पर लगाएंगे

पहले गांव के लोगों को इस दिन काले झंडे लगाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब हम खुद तिरंगा लगाएंगे। सुरक्षा कैंप खुलने के बाद पहली बार लगा कि सरकार सच में यहां पहुंची है।

– रामा, कुड़मेल गांव, अबूझमाड़

रायपुर साहित्य उत्सव के समापन पर बोले राज्यपाल

इंटरनेट की दुनिया में प्रिंट व साहित्य का महत्व हमेशा: डेका

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि इंटरनेट से भरी इस दुनिया और न्यू जनरेशन वाले इस दौर में भी प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा बना रहेगा। राज्यपाल डेका ने आज नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव ह्यआदि से अनादिह्व के समापन समारोह के अवसर पर उक्त विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य और कविता में हमेशा एक संदेश होना चाहिए। जिस तरह संगीत के सात स्वर हमें जोड़े रखते है उसी तरह साहित्य का आदान-प्रदान नई बातों का सीखने का अवसर प्रदान करता है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से राज्यपाल ने कहा कि पिछले तीन दिनों में इस मंच पर बहुत अच्छी और सार्थक

चर्चाएं हुईं। विचारों का खुलकर आदान-प्रदान हुआ। सबने साहित्य, समाज और जीवन से जुड़े कई विषयों पर बात की। यह उत्सव सभी साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार और सीखने वाला अनुभव रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन हुआ। देश भर से आए नामी प्रकाशकों ने यहां किताबों का बहुत सुंदर संग्रह प्रस्तुत किया। पाठकों को नई-नई किताबें देखने और पढ़ने का अच्छा मौका मिला। यह देखकर अच्छा लगता है कि आज भी लोगों में किताबों के प्रति गहरी रुचि है।

हमारे संविधान की खूबसूरती है कि यह समय व परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहा है

गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। यह दिन न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करता है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। हमारा संविधान हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने और सभी नागरिकों के लिए समानता और अन्य सुनिश्चित करने की प्रेरणा देता है। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष ने एक ऐसी शासन व्यवस्था के ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय,समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके और इसके लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। इसमें 3, 71, 946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। इसमें 389 सदस्य शामिल सदस्य शामिल थे, जो भी भजन के बाद घटकर 299 हो गए। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और यहीं से संविधान बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठोर तपस्या के बाद परिपूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे सुरक्षित एवं श्रेष्ठतम संविधान है।

प्रो. भूपेंद्र करवंदे, विधि विशेषज्ञ व योगानंदम कॉलेज, रायपुर के सहायक प्राध्यापक

वर्तमान समय में भारतीय संविधान के समक्ष कई चुनौतियां है, जिनसे कुछ हद तक हम निपटने में कामयाब हुए है। इन्हीं चुनौतियों ने हमें सविधान में 106 संशोधन करने की प्रेरणा दी और हमारे संविधान की यह खूबसूरती है कि यह समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहा है। हमारा संविधान सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। यह संविधान सांस्कृतिक मूल्यों, संवेदनाओं व नैतिकता की दृष्टि से दुनियां के गणतंत्रात्मक देशों में सर्वोत्तम है। इसके अनेक उपबंध वक्त की कसौटियों पर खरे उतरे है। यह सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को शक्ति व कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। बीते कई वर्षों में हमारी कई समस्याओं का समाधान संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है। यही कारण है कि इससे हमारा लोकतंत्र निरंतर मजबूत हुआ है। पीपुल्स समाचार

प्रपत्र संख्या यूआरसी-2

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण की सूचना देने वाला विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(b) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र को एक आवेदन दिया गया है कि एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मेसर्स पावर लाइन एसेसरीज नामक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI की धारा 366 से 374 के भाग के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करना, ताकि शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के माध्यम से साझेदारी फर्म का व्यवसाय जारी रखा जा सके और पंजीकरण की तिथि पर उक्त साझेदारी फर्म से संबंधित या उसमें निहित सभी चल और अचल संपत्ति (यदि कोई कार्रवाई योग्य दावे हों तो सहित) पंजीकृत कंपनी को हस्तांतरित हो जाएं और उसमें निहित हो जाएं।

2. इस्पात संरचनाओं का निर्माण करना, विद्युत हार्डवेयर फिटिंग, उच्च वोल्टेज आइसोलेटर, फैब्रिकेशन, एवी स्विच और डीओ फ्यूज, सौर संरचनाएं आदि का निर्माण करना, या ऐसे अन्य व्यवसाय करना जैसा कि इस समझौते के पक्षकार समय-समय पर पारस्परिक रूप से तय कर सकते हैं।

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति पंजीकृत कार्यालय, 31, इंडस्ट्रियल एरिया, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.) 493221 में देखी जा सकती है।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर प्लॉट संख्या 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) 122050 स्थित केंद्रीय पंजीकरण केंद्र को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है, जिसकी एक प्रति साझेदारी फर्म के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

वास्ते, पावर लाइन एसेसरीज
मनोज खण्डेलवाल
पार्टनर

दिनांक : 26 जनवरी 2026

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट–IV-A अचल संपत्ति/यों हेतु ई–नीलामी सार्वजनिक बिक्री सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सपठित नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री. हेतु. विक्रय ई–नीलामी सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अल्फरिस भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001. फोन नं. 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय रायपुर : तीसरा तल, कार्यालय सं. 301, 28/620, नीले आईकॉनिक, अग्रमेद, शंकर नगर, न्यू रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ

एतद्द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से कॉलम नंबर–ए में इंगित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति(यों) जो कॉलम नंबर–डी में वर्णित है प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित हैं, जिसमें से स्वनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है) को मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल)/प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जो जहां है, जो है जैसा है, और वहां जो कुछ भी है आधार"** पर निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। एतद्द्वारा संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(ओं), उत्तराधिकारी(ओं), संपत्तिभागि(यों) को सूचना दी जाती है चूंकि इस मामले को आज की दिनांक में संशोधित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियमों के नियम–8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या–ए में दर्शाया जा सकता है।बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com** में दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

ऋण सं./उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (A)	मांग राशि और दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्तियों का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10 %)(F)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक(G)	बोली वृद्धि मूल्य (H)	निरीक्षण की दिनांक और समय (I)	नीलामी की दिनांक और समय (J)	ज्ञात ऋण भार/न्यायालय मुकदमा अगर कोई है(K)
NHL/RAI/0418/516340 अमित कुमार अग्रवाल/सुचित अग्रवाल, शाखा : रायपुर	रुपये 28,12,980.25/– और दिनांक 31.03.2021	भौतिक कब्जा	दुकान सं.209, दूसरा तल, ऋषभ कॉम्प्लेक्स, पी.एच.सं. 106, ए, पालिका मकान सं. 37/461, 462, 463, भाग, जवाहर लाल नेहरू वार्ड सं. 37, मौजा रायपुर, इंडसइंड बैंक के सामने, छत्तीसगढ़–492001, सरता	रु. 30,44,000	रु. 3,04,400	26.02.2026	रु. 10,000/–	10.02.2026 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे	27.02.2026 अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे	ज्ञात नहीं

*आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भुगतान की दिनांक तक खर्च फिर ऑर/या वसूली के रूप में एक साथ लागू @18% वार्षिक भविष्य के ब्याज के साथ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना में ऊपर वर्णित अचल/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य भार/दावा नहीं है, केवल कॉलम नंबर–के में उद्घोषित को छोड़कर। इसके अलावा सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने द्वारा इस प्रकार की भार ओं को पूरा/चुकाना किया जाना चाहिए। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लेखित भार की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।

(1) आज की दिनांक में, पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बेचने, विभुक्त करने और/या निपटाने से कोई आदेश निरोधक और/या न्यायालय निषेधाज्ञा नहीं है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में सिफारिश का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई हो, कॉलम नं. के में वर्णित है। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध दस्तावेजों के शीर्षक के शीर्षक तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव(ओं) बनाने से पहले सभी मामलों में खुद की संतुष्टि कर लें। बोली लगाने वाले को बोली फॉर्म के साथ–साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के संदर्भ में, बोलीदाता(ओं)/क्रेता कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (बयाना पैसे शामिल है, यदि कोई हो, जमा) एक ही दिन या अगले कार्य दिवस से बाद में नहीं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री बीपुष्टि की जा सकती है। बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की दिनांक से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस जमा के चूक में, संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति जोखिम से बेचा जाएगा। **(4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा। जिसका कॉन्टैक्ट कार्यालय: प्लॉट सं.69, तीसरा तल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003, वेबसाइट–www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने या किसी अन्य जानकारी या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आपको पीएनबीएचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी श्री विवेक लोधा से टोल फ्री नं. 1800 120 8800, के साथ समन्वय करना होगा या www.pnbhousing.com का संदर्भ लेना होगा।**

स्थान : रायपुर दिनांक : 26.01.2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड